

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2017

सं. 56/2017 – केन्द्रीय कर

सा.का.नि.1412(अ).— आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उप-नियम (5) के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, यह विनिर्दिष्ट करता है कि सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट मास के लिए प्ररूप जीएसटीआर-38 में विवरणी उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट अंतिम तारीख को या उसके पूर्व सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत की जाएगी, अर्थात् :—

सारणी

क्र. सं.	मास	प्ररूप जीएसटीआर-38 में विवरणी फाइल करने के लिए अन्तिम तारीख
(1)	(2)	(3)
1.	जनवरी, 2018	20 फरवरी, 2018
2.	फरवरी, 2018	20 मार्च, 2018
3.	मार्च, 2018	20 अप्रैल, 2018

2. प्ररूप जीएसटीआर-38 के अनुसार कर दायित्व के उन्मोचन के लिए करें का संदाय : प्ररूप जीएसटीआर-38 में विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उक्त अधिनियम के अधीन संदेय कर, ब्याज, फीस या किसी अन्य रकम के लिए अपने दायित्व का, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में यथा उल्लिखित अन्तिम तारीख, जिसको उससे उक्त विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है, से अपश्चात्, यथास्थिति, इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता या इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता से विकलित करके उन्मोचन करेगा।

[फा. सं. 349/58/2017-जीएसटी(पीटी)]

डॉ. श्रीपार्वती एस.एल., अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th November, 2017

No. 56/2017 – Central Tax

G.S.R.1412(E).— In exercise of the powers conferred by Section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) read with sub-rule (5) of rule 61 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby specifies that the return in **FORM GSTR-3B** for the month as specified in column (2) of the Table shall be furnished electronically through the common portal, on or before the last date as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:—

TABLE

SI No.	Month	Last date for filing of return in FORM GSTR-3B
(1)	(2)	(3)
1.	January, 2018	20 th February, 2018
2.	February, 2018	20 th March, 2018
3.	March, 2018	20 th April, 2018

2. Payment of taxes for discharge of tax liability as per FORM GSTR-3B: Every registered person furnishing the return in **FORM GSTR-3B** shall, subject to the provisions of Section 49 of the said Act, discharge his liability towards tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under the said Act by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger, as the case may be, not later than the last date, as mentioned in column (3) of the said Table, on which he is required to furnish the said return.

[F. No.349 /58/2017-GST(Pt)]

Dr. SREEPARVATHY S.L., Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2017

सं. 57/2017-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 1413 (अ). – केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को जिनका समग्र आवर्त पूर्ववर्ती वित्त वर्ष या चालू वित्त वर्ष में 1.5 करोड़ रुपए तक है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करती है, जो माल या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्ति के लिए ब्यौरों को प्रस्तुत करने के लिए नीचे दी गई विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे।

2. उक्त व्यक्ति माल या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्ति जो नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट तिमाही के दौरान उक्त सारणी के स्तंभ (3) की ततस्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट समय तक की गई है, के ब्यौरों को प्ररूप जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत करेंगे, अर्थात् :—

सारणी

क्रम संख्या	तिमाही जिसके लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत किए जाते हैं	प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत करने की समयावधि
(1)	(2)	(3)
1.	जुलाई-सितंबर, 2017	31 दिसंबर, 2017
2.	अक्तूबर-दिसंबर, 2017	15 फरवरी, 2018
3.	जनवरी-मार्च, 2018	30 अप्रैल, 2018

3. अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) और धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 के लिए, यथास्थिति ब्यौरों या विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए विशेष प्रक्रिया या समय सीमा के विस्तार को पश्चातवर्ती रूप से राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

[फा. सं. 349/58/2017-जीएसटी(पीटी)]

डा. श्रीपार्वती एस.एल., अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th November, 2017

No. 57/2017 – Central Tax

G.S.R. 1413 (E).— In exercise of the powers conferred by Section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, notifies the registered persons having aggregate turnover of up to 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, as the class of registered persons who shall follow the special procedure as detailed below for furnishing the details of outward supply of goods or services or both.